न्यायालय उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 154 / 2021
जीसीएमएस न0 2021 / 370

1. आशीष पुत्र रमेश राव तावरे मराठा निवासी निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

–प्रार्थी

बनाम

1. कैलाश पुत्र दलीचन्द पूर्बिया निवासी चान्दखेडा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
2. नारायण पुत्र खेमा पूर्बिया निवासी चान्दखेडा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
3. प्यारीबाई पत्नि दलीचन्द पूर्बिया निवासी चान्दखेडा तहसील निम्बाहेडा (नाम विलोपित किया)
4. मंजु बाई गणपत लाल पूर्बिया निवासी चान्दखेडा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
5. मथरालाल पुत्र दलीचन्द पूर्बिया निवासी चान्दखेडा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
6. राकेश पुत्र गणपतलाल पूर्बिया जरिये सरपरस्त माता मंजुबाई पत्नि गणपत पूर्बिया निवासी चान्दखेडा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ
7. राधेश्याम पुत्र दलीचन्द पूर्बिया निवासी चान्दखेडा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
8. शिवलाल पुत्र दलीचन्द पूर्बिया निवासी चान्दखेडा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
9. सुरज पुत्र गणपतलाल पूर्बिया जरिये सरपरस्त माता मंजुबाई पत्नि गणपत पूर्बिया निवासी चान्दखेडा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1– श्री नरेन्द्र वैष्णव – अधिवक्ता प्रार्थी
2– श्री आशाराम प्रजापत – विपक्षी संख्या 1,2,5,7,8
3– श्री राजेश कुमार खटीक – विपक्षी संख्या 4,6,9

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.09.06 16:05:05 IST
Reason: SelfAttested

:: निर्णय ::

दिनांक 23.[illegible].2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात वाके मौजा खेराबाद पटवार हल्का डला उर्फ किशनपुरा तहसील

निम्बाहेडा की खाता संख्या 3 के आराजी नं0 81 रकबा 0.2100 हैक्टेयर, आराजी नं0 83 रकबा 0.7600 हैक्टेयर, आराजी नं0 84 रकबा 0.3300 हैक्टेयर, कुल किता 3 कुल रकबा 1.3000 हेक्टेयर भूमि स्थित हैं। वास्ते साक्ष्य नकल जमाबंदी प्रार्थना पत्र के साथ पेश है।

2. वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की चली आ रही है उक्त आराजीयात जिसके पुराने आराजी नं०139 / 54 रकबा 17 बिस्वा, आराजी नं0 129 / 54 रकबा 3 बीघा, आराजी नं0 143 / 54 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा जिसके नये आराजी नं0 81,83व 84 है उक्त आराजीयात पर प्रार्थी वक्त खरीद से प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त में चली आ रही थी उक्त आराजीयात जिसका पुराने नक्शा ट्रेस में सही रुप से तरमीम था, तथा वर्तमान सेटलमेन्ट के नया नक्षे ट्रेस में राजस्व कर्मचारियो की गलती की वजह से नवीन नक्शा ट्रेस में गलत रुप से तरमीम कर दिया है जहां पर प्रार्थी काबिज हैं वहां वर्तमान नक्शा ट्रेस में प्रार्थी की आराजीयात के पूर्व दिशा मे विपक्षीगण की आराजी नं0 80 को दर्शा दिया है जबकि उक्त आराजीयात प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे की है और प्रार्थी की पुराने आराजी नं० 29 / 54 व आराजी नं0 143 / 54 के पूर्वी दिशा में पुराने आराजी नं0 139 / 54 जो पुराने नक्शा ट्रेस मे सही तरतीम चली आ रही है और मौके पर प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है प्रार्थी की पुराने आराजी नं0 139 / 54 जिसके नये आराजी नं0 81 को नवीन नक्शा ट्रेस में छोटा कर दिया है ओर आराजी नं0 81 के दक्षिण दिशा में विपक्षीगण की आराजी नं0 80 को दर्शा दिया है जबकि विपक्षीगण की उक्त आराजीयात पुराने नक्शा ट्रेस में अन्य जगह स्थित है और अन्य जगह ही विपक्षीगण का कब्जा है मौके पर जहां प्रार्थी का कब्जा है वहां विपक्षीगण की आराजीयात को गलत रुप से दर्शा दिया गया हैं। इसलिए उक्त नवीन नक्शा ट्रेस में राजस्व कर्मचारियों की गलती से गलत रुप से तरमीम हो गया हैं तथा उक्त नवीन नक्शा ट्रेस मे अंकन प्रार्थी का मौके पर कब्जे अनुसार नही किया हैं। इसलिए उक्त नवीन नक्शा ट्रेस में तरमीम प्रार्थी का मौके पर काबिज अनुसार, नवीन नक्शा ट्रेस वराजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरुस्त किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है।

3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया गया, विपक्षी को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया, विपक्षी क्रमांक 1,2,4,5,6,7,8,9 के अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा जवाब एवं अनुशंषा कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश किया गया और साथ तथा तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा अपने जवाब मे बिन्दुवार अंकन जो निम्नानुसार हैः–

I. ग्राम खेराबाद पटवार हल्का डला उर्फ किशनपुरा की जमाबन्दी रोटेशन वर्ष 2060 – 2063 में खाता संख्या 2 की आ.न. 129 / 54 रकबा 3 बीघा, आ.न. 139 / 54 रकबा 17 बिस्वा एंव आ.न. 143 / 54 रकबा 1 बीघा 08 बिस्वा कुल किता 03 रकबा 5 बीघा 05 बिस्वा खातेदार श्री अब्दुल हमीद पिता अब्दुल हकीम मु. गफूरन बेवा अब्दुल हकीम मुसलमान सा.निम्बाहेड़ा के नाम दर्ज रिकार्ड थी, जिसको प्रार्थी खातेदार द्वारा क्रय किया जाकर कब्जा प्राप्त किया।

II. प्रार्थी के कथनानुसार उक्त आराजियात पर वर्तमान मोके अनुसार काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा था। बाद भू प्र[illegible] उक्त आराजियात के नवीन आ.न. क्रमशः 83 रकबा 0.76 हेक्टे., 81 रकबा 0.21 [illegible] एंवम 84 रकबा 0.33 हेक्टे. कुल किता 03 रकबा 1.30 हेक्टे. दर्ज हुए। [illegible] खेराबाद जाने वाले रोड़ के पश्चिमी ओर होकर एक चक के रूप में [illegible] जो वर्तमान तक प्रार्थी के कब्जे काश्त है। वर्तमान नक्शे में आ.न. 84 व रोड़ के मध्य आ.न. 80 रकबा 0.19 हेक्टेयर दर्ज हुआ है , उसे पूर्वानुसार दर्ज करने हेतु 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

III. गत नक्शे एंवम हाल नक्शे की तुलना करने पर प्रार्थी खातेदार की तीनो आराजियात मोके अनुसार हाल नक्शे में दर्ज की गई है। हाल आ.न. 80 रकबा 0.19 हेक्टे. जिसके साबिक आ.न. 54 रकबा 15 बिस्वा था , आंवटन द्वारा नाराण

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.09.06 16:05:05 IST
Reason: SelfAttested

दल्ला पिता खेमा पुर्बिया सा. चान्दखेड़ा के नाम आंवटन होकर ना.सं. 39 निर्णय दिनांक 20/05/72 से गेर खातेदार दर्ज हुआ, जिसका नक्शा नामान्तरकरण पर चस्पा किया गया लेकिन गत पटवार नक्शे में किसी प्रकार की तरमीम नही दर्शाई गई। नामान्तरकरण पर चस्पा ट्रेस अनुसार उक्त आंवटन अप्रार्थी खातेदारी से लगती हुई दक्षीणी दिशा में आंवटन की गई थी जहाँ पर वर्तमान आराजी नं. 86 रकबा 0.18 हे. किस्म चरागाह दर्ज है। उक्त आराजी के उत्तरी व दक्षिणी ओर अप्रार्थीणो की खातेदारी आराजीयात होकर आवंटन से ही अप्रार्थीगण काबिज है। अप्रार्थीणो का हाल आराजी नम्बर 80 पर कभी भी कब्जा नही रहा। हाल आराजी नम्बर 86 का रकबा बरारी करने पर रकबा 0.19 हेक्टेयर होता है। अतः गत राजस्व रेकार्ड, नक्शा , ना.स. 39 पर चस्पा ट्रेस व मोके पर कब्जा व स्थिति अनुसार राजस्व रेकार्ड में संशोधन निम्नानुसार किया जाना प्रस्तावित किया है:-

क्र. सं.	वर्तमान स्थिति				प्रस्तावित स्थिति			
	आ0 न0	रकबा	लगान	खातेदार	आ0 न0	रकबा	लगान	खातेदार
1.	80	0.19	0.67	श्री कैलाश मथरालाल राधेश्याम शिवलाल पिता दलीचन्द प्यारीबाई पत्नि दलीचन्द 5/12हि.ब.ना. बा. राकेश सुरज पिता गणपत मन्जुबाई पत्नि गणपत 1/12 हि.ब. नारायण पिता खेमा 1/2 पुर्बिया सा. चान्दखेड़ा खातेदार रहन बदस्तुर	80	0.18	0.0	चरागाह
2.	86	0.18	0.0	चरागाह	86	0.19	0.67	श्री कैलाश मथरालाल राधेश्याम शिवलाल पिता दलीचन्द प्यारीबाई पत्नि दलीचन्द5/12हि.ब. ना. बा. राकेश सुरज पिता गणपत मन्जुबाई पत्नि गणपत 1/12 हि.ब. नारायण पिता खेमा 1/2 पुर्बिया सा. चान्दखेड़ा खातेदार रहन बदस्तुर
3	81	0.21	5.36	आशीष पुत्र रमेशराव तावरे मराठा सा.	81	0.21	5.36	आशीष पुत्र रमेशराव तावरे मराठा सा. निम्बाहेडा खातेदार रहन
	83	0.76	19.38		83	0.76	19.38	
	84	0.33	1.16		84	0.33	1.16	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.09.06 16:05:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

				निम्बाहेडा खातेदार रहन यूनियन बैंक आफ इंडिया शाखा निम्बाहेडा				यूनियन बैंक आफ इंडिया शाखा निम्बाहेडा

4. दोनो पक्षो के अभिवचनो के आधार पर बहस उभयपक्ष सूनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत दस्तावेज एवं तहसीलदार निम्बाहेडा की अनुशंषा प्रतिवेदन ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस में मनन किया गया प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारो एवं दस्तावेजो के आधार पर संक्षिप्त सार यह है कि ग्राम खेराबाद पटवार हल्का डला उर्फ किशनपुरा के हाल आ.न. 80 रकबा 0.19 हेक्टैयर भूमि जिसके साबिक आ.न. 54 रकबा 15 बिस्वा था , आंवटन द्वारा नाराण दल्ला पिता खेमा पुर्बिया सा. चान्दखेड़ा के नाम आंवटन होकर ना.सं. 39 निर्णय दिनांक 20/05/72 से गेर खातेदार दर्ज हुआ, जिसका नक्शा नामान्तरकरण पर चस्पा किया गया लेकिन गत पटवार नक्शे में किसी प्रकार की तरमीम नही दर्शाई गई। नामान्तरकरण पर चस्पा ट्रेस अनुसार उक्त आंवटन अप्रार्थी खातेदारी से लगती हुई दक्षीणी दिशा में आंवटन की गई थी जहाँ पर वर्तमान आराजी नं. 86 रकवा 0.18 हे. किस्म चरागाह दर्ज है। उक्त आराजी के उत्तरी व दक्षिणी ओर अप्रार्थीणो की खातेदारी आराजीयात होकर आवंटन से ही अप्रार्थीगण काबिज है। अप्रार्थीणो का हाल आराजी नम्बर 80 पर कभी भी कब्जा नही रहा। हाल आराजी नम्बर 86 का रकबा बरारी करने पर रकबा 0.19 हेक्टेयर होता है तथा आराजी नम्बर 80 का रकबा 0.18 हैक्टेयर हा होता हैं। अतः गत राजस्व रेकार्ड, नक्शा ,ना.स. 39 पर चस्पा ट्रेस व मोके पर कब्जा व स्थिति अनुसार राजस्व रेकार्ड में आराजी नम्बर 86 रकबा 0.19 हैक्टेयर चरागाह के बजाए खातेदारी एवं आराजी नम्बर 80 रकबा 0.18 खातेदारी के बजाए चरागाह दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 भू0राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेशित किया जाता है कि वाके मौजा खेराबाद पटवार हल्का डला उर्फ किशनपुरा तहसील निम्बाहेडा की आराजी नं0 80 रकबा 0.19 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 86 रकबा 0.18 हैक्टेयर भूमि में निम्नानुसार संशोधन के आदेश दिये जाते है।

क्र.सं.	वर्तमान स्थिति				प्रस्तावित स्थिति			
	आ0 न0	रकबा	लगान	खातेदार	आ0 न0	रकबा	लगान	खातेदार
1.	80	0.19	0.67	श्री कैलाश मथरालाल राधेश्याम शिवलाल पिता दलीचन्द प्यारीबाई पत्नि दलीचन्द 5/12हि.ब.ना.	80	0.[illegible]	0.0	चरागाह

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.09.06 16:05:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

न्यायालय उपखण्ड ...
आशीष बनाम कैलाश
GCMS No- 2021/370
प्रकरण संख्या 154/2021

				बा. राकेश सुरज पिता गणपत मन्जुबाई पत्नि गणपत 1/12 हि.ब. नारायण पिता खेमा 1/2 पुर्बिया सा. चान्दखेड़ा खातेदार रहन बदस्तुर				
2.	86	0.18	0.0	चरागाह	86	0.19	0.67	श्री कैलाश मथरालाल राधेश्याम शिवलाल पिता दलीचन्द प्यारीबाई पत्नि दलीचन्द 5/12हि.ब. ना. बा. राकेश सुरज पिता गणपत मन्जुबाई पत्नि गणपत 1/12 हि.ब. नारायण पिता खेमा 1/2 पुर्बिया सा. चान्दखेडा खातेदार रहन बदस्तुर
3	81	0.21	5.36	आशीष पुत्र रमेशराव तावरे मराठा सा. निम्बाहेडा खातेदार रहन यूनियन बैंक आफ इंडिया शाखा निम्बाहेडा	81	0.21	5.36	आशीष पुत्र रमेशराव तावरे मराठा सा. निम्बाहेडा खातेदार रहन यूनियन बैंक आफ इंडिया शाखा निम्बाहेडा
	83	0.76	19.38		83	0.76	19.38	
	84	0.33	1.16		84	0.33	1.16	

उपर्युक्तानुसार संशोधित प्रस्तावित हिस्सा अंकित अनुसार राजस्व रेकार्ड में तरमीम की जावें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखील दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.05.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.09.06 16:05:05 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा